राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांकः एफ 27(32)ग्राविवि–5/सां./PMAY-G/Remand Module/2018–19 जयपुर, दि 29 जनवरी, 2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत स्थायी वरीयता मे शामिल ऐसे परिवार जो कि योजनान्तर्गत नहीं आते है के नाम पात्रता सूची से हटाये जाने बाबत्।

प्रसंग :–विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 04.09.2018, 01.10.2018 एवं 26.10.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की PWL मे शामिल ऐसे परिवार जो पात्रता नहीं रखते है को हटाने के लिए On Line "Remand Module" का प्रावधान है, जिसमें पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायतवार एवं वर्गवार PWL की समीक्षा करवाकर, अपात्र व्यक्तियो का इंन्द्राज किया जाता है। उक्त के क्रम में जिला परिषदों से काफी कम संख्या में ही प्रकरण प्राप्त हुए है।

उल्लेखनीय है की उक्त प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर अपात्र व्यक्ति का नाम PWL मे दर्ज होने की दशा में आगामी वरियता क्रम के लाभार्थी को स्वीकृति जारी करना दिशा निर्देशो का उल्लंघन है एवं साथ ही ऐसे परिवारों की संख्या वर्गवार किसी ग्राम पंचायत में ज्यादा होने पर अपात्र के नाम नहीं हटने के कारण उस ग्राम पंचायत के पात्र लाभार्थी, स्वीकृति से वंचित रहेगे।

अतः पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायतवार एवं वर्गवार PWL की समीक्षा कराकर, On Line "Remand Module" पर अपात्र व्यक्तियो का इंन्द्राज करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावे, जिससे वरीयता क्रम मे आगे स्थान वाले पात्र परिवार लाभ से वंचित नहीं रहे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान।
2. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान ।

अधीक्षण अभियंता,ग्रा.वि.